

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

प.११।१नविबि ३/१५

जयपुर, दिनांक १.१.२००१

स्मस्त जिला बलेक्टर,

राजस्थान.

विषय :- दिनांक १५.८.१८ से पूर्व कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को पट्टे जारी करने के संबंध में .

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के श्रीगणानगर के प्रवास दिनांक ३.१.२००१ के समय प्रश्न उपस्थित हुआ कि कच्ची बस्तियों में ऐसे व्यक्ति जो १५.८.१८ से वहाँ निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके पास उनके निवास का एक भी दस्तावेजी स्मृत नहीं है, उन्हें पट्टे जारी किए जाये अथवा नहीं ?

इस संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.११।१नविबि ३/१५ दिनांक १८.५.११ के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी कच्ची बस्ती में १५.८.१८ से पूर्व रहने वाले व्यक्तियों के झुण्डों का नियमन उनके द्वारा इस संबंध में न्यूनतम एक स्मृत पेश करने पर ही किया जा सकेगा ।

भ्रमदीय,

१ एच.एस. भारद्वाज १

शासन उप सचिव १ प्रथम १